# प्रेस नोट 01.11.2022

**06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 01.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा बबलू, रिंकू पुत्रगण प्रभुनाथ निवासीगण पचिश्ता मोलनापुर, पप्पू सोनकर पुत्र गया सोनकर निवासी इब्राहीमचक, राजकुमार पुत्र स्व0 नारायण, धर्मेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र रामबचन विश्वकर्मा निवासीगण रामपुर पलिया थाना चिरैयाकोट, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा हरिहर चौहान पुत्र भगवान चौहान निवासी बस्ती थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 29 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 01.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा राहुल सिंह निवासी अल्लीपुर, अनुराग जायसवाल निवासी कोइरियापार, रमाकान्त चौहान निवासी फतिहवा, आशीष यादव, अतुल यादव निवासी जजौली, रामहित यादव, लालमन यादव निवासीगण मोहिनुद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अशोक यादव, प्रेमचन्द्र यादव, रामअवध यादव, ताज यादव, संतोष यादव निवासीगण डोडापुर थाना सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा लोकनाथ यादव निवासी कमलसागर थाना रामपुर, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा सादाब, गिरीश, रूक्मणी, अंजली निवासीगण हकीकतपुरा, रमेश, अशोक, लल्लन, संदीप, सतोष, संजय निवासीगण रैनी, शैलेन्द्र कुमार निवासी निजामुद्दीनपुरा, वहाव निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना मधुबन पुलिस द्वारा हरिशंकर यादव निवासी कटघरा शंकर महलू, सुधीर कुमार, विनोद कुमार निवासीगण चकबकसुपरु थाना मधुबन जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 01.11.2022 को यातायात माह नवम्बर 2022 का उद्घाटन गाजीपुर तिराहे पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनन्जय मिश्र द्वारा किया गया

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात अम्बर कुमार ए0पी0टी0ओ0 मऊ श्री अरबिन्द कुमार जयसल, प्रतिसार निरीक्षक श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रभारी यातायात राजकेशर सिंह, टी0एस0आई0 मो0 रूस्तम खाँ, टी0एस0आई0 रमेश कुमार, का0 प्रवीण गुप्ताए का0 संजय यादव, का0 उमाकान्त मौर्य, मीडिया बन्धु व शहर के गणमान्य व्यापारी बन्धु व टेम्पू यूनियन के पदाधिकारीगण व अन्य लोग मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी यातायात अम्बर कुमार द्वारा यातायात नियमो की जानकारी दी गयी व पूरे माह नवम्बर मे यातायात कार्यक्रम का आम जनमानस को जागरूक करने हेतु निम्न कार्यक्रम योजनाबद्व रूप से प्रचार-प्रसार किये

जायेगे, सडक सुरक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण, रोड इंजिनियरिंग आदि के महत्व के बारे में जनता को जागरूक कर उत्कृष्ट कोटि की यातायात व्यवस्था को बनाने हेतु अन्य विभागो से परस्पर समन्वय स्थापित करना। ट्रैक्टर/ ट्राली के पिछे रिफ्लेक्टर/फ्लोरोसेण्ट स्ट्रिप लगवाया जाना तथा चालको को यातायात के नियमो के बारे में बव्यापक जानकारी एवं प्रशिक्षण का दिया जाना। जिम्मेदार नागरिक पहल के अन्तर्गत स्कूलो/विद्यालयो में यातायात के नियमो का व्यापक प्रचार-प्रसार करना। वाहन चलाते समय पैदल यात्रियो को सड़क पार करने में प्राथमिकता प्रदान करेगें। अपने माता-पिता, बच्चो, रिस्तेदारो, सहकर्मियो,वाहन चालको और परिचितो को यातायात नियमो के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ग्रामीण अंचलो के विद्यालय के छात्र-छात्राओ को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने तत्पश्चात यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन चालको व वाहन स्वामियो निम्न विन्दुओ पर कार्यवाही की जायेगी अनाधिकृत रूप से लगे लाल/नीली फ्लेसर बत्ती के विरूद्व कार्यवाही, वाहनो पर लगे अनाधिकृत रूप से  हूटर्स के विरूद्व कार्यवाही, वाहनो पर लगे अनाधिकृत रूप से सायरन/प्रेषर हार्न के विरूध कार्यवाही, वाहनो के शीशोे पर अवैध रूप से लगी काली फिल्म के विरूद्व कार्यवाही, बिना डी0एल0 के वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही।बिना पेपर के वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही।यातायात नियम/संकेतो का उलंघन करने वालो के विरूद्व कार्यवाही। वाहन चलाते समय मोबाइल/ईयरफोन का प्रयोग करने वालो के विरूद्व कार्यवाही।दो पहिया चालको द्वारा हेलमेट न धारण करने/तीन सवारी बैठाकर चलने वालो के विरूद्व कार्यवाही।चार पहिया वाहन चालको द्वारा सीट-बेल्ट न धारण करने वालो के विरूद्व कार्यवाही।गलत नम्बर प्लेट लगाये वाहनो के विरूद्व कार्यवाही।शहरो/कस्बो/गॉवो में पटरी पर ठेला/खोमचा लगाकर अतिक्रमण करने वालो के विरूद्व कार्यवाही। ओवरस्पिडिंग तथा स्टंट कर वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही।तथा स्कूली वाहनो में ओवरलोडिंग करने पर कार्यवाही।शराब पीकर व तेज गति से गाड़ी चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही।अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही। सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाने वालो के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी